न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 35/2019 दायरा दिनांक : 27.05.2019

उनवान

1– कन्हैया लाल पुत्र शोलाल, जाति मीणा, निवासी खेड़ी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– रामप्यारी पत्नी कन्हैया लाल, जाति मीणा, निवासी खेड़ी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– गोपाल पुत्र अमरा, जाति मीणा, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– सत्यनारायण पुत्र अमरा, जाति मीणा, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– फूला बाई पुत्री अमरा, जाति मीणा, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– धापू बाई पुत्री अमरा, जाति मीणा, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– फूंदी बाई विधवा पत्नी अमरा, जाति मीणा, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री इन्द्र लाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.03.2021

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 152/दावा/2011 निर्णय दिनांक 01.06.2016 व डिक्री दिनांक 20.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के एक तरफा डिक्री एवं निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध अपने अधिकारों से परे जाकर धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे को अकारण ही डिक्री एवं निर्णय पारित करने में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प पचोला में अपीलांट को नोटिस दिये बिना ही पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय एवं सी पी सी के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है । ग्राम रामपुरा मेंखसरा नम्बर 91 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 92 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 94 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा कुल 3 किता की 11 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है । अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेंट के पिता अमरा से 100/– रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 07.07.1998 को 35000/– रूपये में उक्त आराजी खरीद की है तब से ही उक्त आराजी पर अपीलांट का कब काश्त ओपन एण्ड होस्टाईल पजेशन में निरन्तर एवं निर्विरोध चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के कब्जे काश्त में हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2016 व डिक्री दिनांक 20.06.2016 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.05.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में गोपाल इत्यादि ने धारा 183 का दावा पेश किया था । दिनांक 13.04.2016 को रेवेन्यु बोर्ड की पालना में पेश हुआ । दिनांक 23.05.2016 को राजीनामा पेश नहीं करने का अंकन पत्रावली में मौजूद है। दिनांक 01.06.2016 को प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित

(महिन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी । लोक अदालत में राजीनामे से सभी पक्षकारों की उपस्थिति में निर्णय पारित किया जाता है । एक तरफा का कोई प्रावधान लोक अदालत में नहीं है। वादग्रस्त आराजी का बेचान वादीगण के पिता द्वारा प्रतिवादीगण को बेचान की जा चुकी थी । स्पेसिफिक परफारमेन्स का दावा सिविल न्यायालय अकलेरा में लम्बित है । अधीनस्थ न्यायालय में हमने एग्रीमेंट पेश किया है । धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे की मियाद 12 साल होती है जबकि इनका दावा 13 साल बाद पेश किया है जो मियाद बाहर है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2018–19 (सप्लीमेंन्ट्री) पेज 394, आर आर डी 1997 पेज 208 एवं आर आर डी 1997 पेज 319 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 23.05.2016 को वादी व प्रतिवादी उपस्थित हुए हैं । इन्होंने बेचान पत्र की फोटो प्रति पेश की है जो अनरजिस्टर्ड है । इन्होंने 1998 से आज तक कोई कार्यवाही नहीं की । हम वादग्रस्त आराजी रिकार्डेड खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया है । 100/– रूपये के स्टाम्प पर खातेदारी के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है । अतः अपील खारिज की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2017 (2) पेज 1100 उद्धरत की।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार प्रकरण में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसकी अनुपालना में दिनांक 23.05.2016 को अपीलांट प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए । दिनांक 01.06.2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प पचोला में पेश हुई । अपीलांट प्रतिवादी को दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश करने हेतु पाबन्द किया जा चुका है किन्तु प्रतिवादी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा जिससे उनके खिलाफ एक

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि विवादित आराजी प्रतिवादी अपीलांट कन्हैयालाल की पत्नी रामप्यारी के नाम से दिनांक 07.07.1998 को खरीद किया गया है उक्त दस्तावेज अपंजीकृत दस्तावेज है जो प्रारम्भ से ही शून्य/अपठनीय माने जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट वादीगण के खातेदारी की भूमि पर अपीलांट प्रतिवादीगण का कब्जा नाजायज माना है, जो सही है । अपीलांट द्वारा एक वाद स्पेसिक परफोरमेंन्स ऑफ कान्टेक्ट एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आर्डर 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी पी सी का रेस्पोडेंट के विरूद्ध माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश अकलेरा में प्रस्तुत किया गया है जो जैरकार है जिसमें अभी किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2016 व डिक्री दिनांक 20.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ओ. 41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– कन्हैया लाल पुत्र शौलाल, जाति मीणा, निवासी खेडी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड 2– रामप्यारी पत्नी कन्हैया लाल, जाति मीणा, निवासी खेडी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड .... अपीलांट	बनाम	1– गोपाल पुत्र अमरा, जाति मीणा, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड 2– सत्यनारायण पुत्र अमरा, जाति मीणा, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड 3– फूला बाई पुत्री अमरा, जाति मीणा, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड 4– धापू बाई पुत्री अमरा, जाति मीणा, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड 5– फूदी बाई विधवा पत्नी अमरा, जाति मीणा, निवासी पचोला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड .... रेस्पोडेंट

अपील नं. 35/2019 एवं नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा

मु.द.नं0 152/दावा/2011 निर्णय दिनांक 01.06.2016 व डिकी दिनांक – 01.06.2016

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 19 माह 02 सन 2021

हाजरी श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री इन्दलाल गुप्ता अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2016 व डिकी दिनांक 20.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 03 माह 03 सन् 2021 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)